



**राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग**

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज.) 302005

क्रमांक: प.7(94)परि/नियम/मु./सामान्य/2017/पार्ट/2783

जयपुर, दिनांक: 11/02/2021

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
.....समस्त।

विषय:- बैठक क्षमता के निर्धारण के संबंध में।

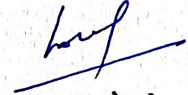
उपरोक्त विषयान्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 52 के अन्तर्गत 13 सीट से अधिक बैठक क्षमता मंजिली/संविदा अनुज्ञापत्रधारी यात्री बसों में पंजीयन प्रमाण पत्र में पूर्व से दी गयी बैठक क्षमता का निर्धारण/संशोधन एवं अन्य परिवर्तन संबंधित आवेदनों को निर्णित करने से पूर्व बस बॉडी कोड AIS:052 के आलोक में परीक्षण हेतु मुख्यालय प्रेषित किए जाने के निर्देश दिनांक 21.08.2019 को प्रदान किये गये थे।

परन्तु वर्तमान में अधिसूचना क्रमांक एफ 7(03)/Pari/Rules/H.Q./2005/13033 दिनांक 16-07-2020 जारी कर राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के विद्यमान नियम 7.14 क के पश्चात् और विद्यमान नियम 7.15 के पूर्व, नया नियम 7.14 ख अन्तः स्थापित किया गया जिसमें मंजिली गाड़ी यानों की बैठक क्षमता की सीमा का निम्नलिखित सारणी के अनुसार किया गया :-

क्र.सं.	व्हील बेस	ड्राइवर और /या कण्डक्टर को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम बैठक क्षमता
1	2	3
1	254 से.मी.से 293 से.मी.	16
2	294 से.मी.से 305 से.मी.	20
3	306 से.मी.से 343 से.मी.	25
4	344 से.मी.से 407 से.मी.	30
5	408 से.मी.से 432 से.मी.	35
6	433 से.मी.से 496 से.मी.	45
7	497 से.मी.से 534 से.मी.	50
8	535 से.मी.से 541 से.मी.	55
9	542 से.मी.से 561 से.मी.	60
10	562 से.मी.और उससे अधिक	65

5

अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि बैठक क्षमता का निर्धारण/संशोधन एवं अन्य परिवर्तन संबंधित आवेदन आदेश दिनांक 21.08.2019 के अनुसार मुख्यालय प्रेषित न कर स्वयं के स्तर पर मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 52, बस बॉडी कोड AIS:052 एवं राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 7.14ख के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।



(रवि जैन)

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव